



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

रिट - ए संख्या - 16123 सन् 2025

प्रतिभा सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संतोष कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, एम.एन. सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय तथा आयोग की ओर से उपस्थित श्री एम.एन. सिंह को सुना गया।
2. यह रिट याचिका प्रतिवादियों को निर्देश (मैंडमस) देने हेतु दायर की गई है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक, उत्तर कुंजी के अनुसार उपलब्ध कराएं तथा दिनांक 16.09.2025 की अधिसूचना के क्लॉज संख्या 2 को निरस्त करें।
3. इस न्यायालय ने दिनांक 16.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

"याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 16.12.2025 की अधिसूचना टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आयोग का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक परीक्षा के अंक घोषित करे। उनके अनुसार चयन को प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई साक्षात्कार (वाइवा-वॉचे) नहीं है।

आयोग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एम.एन. सिंह ने समय की मांग की ताकि वे सीलबंद लिफाफे में याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंक तथा कट-ऑफ अंक प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकरण को 28.01.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए।"

4. आज, आयोग की ओर से उपस्थित श्री सिंह ने न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में कट-ऑफ अंक तथा याचिकाकर्ता के प्राप्त अंक प्रस्तुत किए। अभिलेख के अनुसार, याचिकाकर्ता को 93 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कट-ऑफ अंक से काफी कम हैं।
5. उक्त स्थिति से अवगत होने पर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका वापस लेने की प्रार्थना की।
6. अतः, रिट याचिका को वापस ली गई मानते हुए निरस्त किया जाता है।
7. सीलबंद लिफाफा अभिलेख पर रखा जाता है और इसे परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जनवरी 28, 2026

राजेश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"